परिशिष्ट 'दो' [30/11/2017] परिशिष्ट अ १

प्रश्न सं. [क्र. 593]

(2) परिक्षेत्रिक योजना में :–

(क) वास्तु विद्या संबंधी आकृतियों, भवनों तथा संरचनाओं की ऊंचाई तथा अग्रभाग पर नियंत्रण और

(ख) गृह निर्माण , बाजार केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं एवं नागरिक केन्द्रों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के विकास ब्यौरे,

धारा 18 तथा 19 के उपबंध परिक्षेत्रिक योजना को लागू होंगे

22 धारा 18 तथा 19 के उपबंध परिक्षेत्रिक योजना के तैयार किये जाने उसके प्रकाशन, अनुमोदन तथा प्रवर्तन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे विकास योजना के संबंध में लागू होते हैं।

विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना का पुनर्विलोकन तथा उपानतरण

* 23 (1) संचालक, स्वप्रेरणा से विकास योजना के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन का कार्य हाथ में ले सकेगा या यदि राज्य सरकार द्वारा वैसी अपेक्षा की जाये तो, विकास योजना के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन का कार्य हाथ में ले लेगा।

(2) संचालक, यदि आवश्यक हो तो उपधारा (1) के अधीन योजना के उपान्तरण का प्रस्ताव कर सकेगा।

(3) संचालक, यदि राज्य सरकार द्वारा वैसी अपेक्षा की जाये तो किसी विकास योजना की किसी निवेश इकाई का पुनर्विलोकन करने की कार्यवाही करेगा और उपान्तरण प्रस्तावित करेगा।

(4) स्थानीय प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या यदि राज्य सरकार या संचालक द्वारा वैसी अपेक्षा की जाए तो परिक्षेत्रिक येाजना के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन का कार्य हाथ में लेगा।

(5) धारा 18 और 19 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (2) के अधीन उपान्तरण को, उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन तथा उपान्तरण को तथा उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उपबन्ध किसी विकास योजना के तैयार किए जाने, प्रकाशित किये जाने और अनुमोदित किये जाने के संबंध में लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "निवेश इकाई" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो विकास योजना में निवेश इकाई के रुप में दर्शित किया गया है।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा विकास योजना या

** 23–क (1–क) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण के निवेदन पर भारत सरकार या राज्य सरकार और उसके उद्यमों के लिए या राज्य में विकास से संबंधित प्रस्तावित किसी परियोजना के लिए या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण की किसी स्कीम के कार्यान्वित किए जाने के लिए विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण कर सकेगी और विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में इस प्रकार किया गया उपांतरण पुनरीक्षित विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना का एकीकृत भाग होगा ।

(ख) राज्य सरकार किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी ऐसे आवेदन पर जो विकास योजना या क्षेत्रीय योजना के उपांतरण के लिए किसी ऐसे क्रियाकलाप या स्कीम को हाथ में लेने के प्रयोजन के लिए किया गया हो, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित की गई समिति की सलाह पर राज्य सरकार या संचालक द्वारा सोसायटी के लिए लाभप्रद समझा गया/समझी गई है, विकास योजना या क्षेत्रीय योजना में ऐसे उपांतरण कर सकेगी जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे जाएं तथ विकास योजना या क्षेत्रीय योजना में इस प्रकार किया गया उपांतरण, पुनरीक्षित विकास योजना या क्षेत्रीय योजना का समाकलित भाग होगा.''

(2) राज्य सरकार, उपान्तरित योजना के प्रारूप को, उपान्तरित योजना प्रारूप के तैयार किये जाने तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां उसकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, सूचना उस क्षेत्र में जिसमें वह योजना संबंधित है, परिचालित ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में जो कि विज्ञापन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में हो लगातार दो दिन तक प्रकाशित कराएगी और उसकी एक प्रति, कलेक्टर के कार्यालय के सूचना पटट पर किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपकाई जायेगी जिसमें किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उसके संबंध में लिखित आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

---

* धारा 23 राजपत्र, दिनांक 17.4.96 द्वारा प्रतिस्थापित

** धारा 23 – क राजपत्र, दिनांक 1 सितंबर 2005 द्वारा प्रतिस्थापित

सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात राज्य सरकार उपान्तरित योजना की पुष्टि करेगी।

(3) धारा 18, 19 तथा 22 के उपबंध राज्य सरकार द्वारा किये गये उपान्तरण को लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण – लोप किया गया ।